FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana
   P.S. (थाना): ACB, Karnal
   Year (वर्ष): 2026
   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0019
   Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 04/08/2026 18:33 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो • करनाल • करनाल मण्डल

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1 **Day (दिन):** Intervening Days
   Date from (दिनांक से): 01/01/2006
   Date To (दिनांक तक): 01/01/2013
   Time Period (समय अवधि):
   Time From (समय से): 12:00 hrs
   Time To (समय तक): 05:00 hrs

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):**
   Date (दिनांक): 04/08/2026
   Time (समय): 18:01 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**
   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010
   Date and Time (दिनांक और समय): 04/08/2026 18:01 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 40 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

      (b) Address (पता): पानीपत शहर,

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

      District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) Name (नाम): Satpal Singh

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 08/03/1969 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो • करनाल
करनाल मण्डल

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Bhag Khera, SAFIDON, JIND, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Bhag Khera, SAFIDON, JIND, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): 91-180-2699116 Mobile (मोबाइल सं.): 91-9468060799

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुरेन्द्र सिंह दहिया			1. तत्कालीन डीएचओ,जिला बागवानी विभाग,पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
2	जयपाल सिंह तोमर			1. एपीओ,जिला बागवानी विभाग,जिला पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
3	अन्य तत्कालीन कर्मचारियों			1. जिला बागवानी विभाग,जिला पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबंधक अफसर, रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल। श्रीमान जी, निवेदन है कि कार्यालय पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक 13715-19/1-1/SVACB (H) date Panchkula the 14.07.2026 व पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल के डायरी क्रमांक 1633 दिनांक 17.07.2026, कार्यालय पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक 15198/1-5/SVACB(H) date Panchkula the 03.08.2026 व पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल करनाल के डायरी क्रमांक 1765 दिनांक 04.08.2026 के सम्बन्ध में प्रस्तुत है कि जांच क्रमांक 05 दिनांक 28.03.2013 पंचकूला, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 14191/आई-1/रा.चौ.एवं भ्र.नि.ब्यूरो(ह.) दिनांक 18.07.2025 व मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 66/22/2013-6 चौकसी(II) दिनांक 26.06.2026 की अनुपालना में प्राप्त हुई थी। जिसमें Department of Horticulture Haryana द्वारा जारी विभिन्न स्कीमों में बागवानी के लिए तथा इससे सम्बंधित अन्य कार्यो के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सीडी में जबरदस्त धांधली किए जाने बारे कुल 26 आरोप लगाए गए थेः-

जिनकी सर्वप्रथम पडताल श्री निहाल सिंह उप पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो पंचकूला व उसके बाद में समय-2 पर अन्य जांच अधिकारीयो द्वारा की गई जिस दौरान कार्यालय महानिदेशक, रा.चौ.ब्यूरो के आदेश पृष्ठाकन 5022-24/आई-1/एस.वी.बी. दिनांक 26.04.2016 की अनुपालता में हरियाणा के 17 जिलों में नियुक्त राज्य चौकसी ब्यूरो के जांच अधिकारियों द्वारा जांच करके अपनी- अपनी रिपोर्ट मुख्यालय पर प्रस्तुत की हैं। इनके आधार पर तत्कालीन जांच अधिकारी श्री ओम प्रकाश उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला द्वारा अंतिम रिर्पोट (कुल पेज 621) तैयार की गई। जिस बारे पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के पत्र कमाक 558/रा.चौ.ब्यूरो हरियाणा पंचकूला दिनांक 03.09.2019 अनुसार एतराज लगाए गए। इसके उपरान्त निरीक्षक महेन्द्र सिह थाना राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला द्वारा पत्र क्रमांक 513/थाना रा.चौ.ब्यूरो पंचकूला दिनांक 18.05.2022 अनुसार एतराजों की पूर्ति बारे संयुक्त अंतिम रिर्पोट तैयार की गई। इसके बाद आदेश क्रमांक 341-48 दिनांक 19.05.2022 अनुसार जांच हेतू नरेन्द्र सिंह उप पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एस.आई.टी. गठित की गई व इसके बाद दिनांक 18.04.2023 से 04.08.2023 तक श्री मुनीश शर्मा भा.प्र.से. द्वारा जांच की गई व इसके बाद जांच श्री शरीफ सिंह उप पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो पंचकूला द्वारा की गई। इसके बाद कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो पंचकूला के आदेश Endst No. 668-74/ACB/PKL dated 17-10-2023 अनुसार जांच विजय कुमार उप पुलिस अधीक्षक रा.स.एंव भ्र.नि.ब्यूरो पंचकूला व निरीक्षक राकेश कुमार को सौंपी गई। जिसकी अनुपालना में जांच से सम्बंधित रिकार्ड श्री शरीफ सिहं उप पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करके रिकार्ड का अध्ययन किया गया। जो अध्ययन से सामने आया कि जांच से सम्बन्धित रिकार्ड न ही पूरा है और न ही तरतीब से लगा है व मिसलों पर इण्डैक्स नही लगे है। जिस बारे उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया गया व रिकार्ड पूरा करने हेतू पूर्व के जांच कर्ताओं से सम्पर्क किया गया परन्तु कोई रिकार्ड नहीं मिल सका। इसके बाद शिकायतकर्ता सतपाल अग्रवाल से संपर्क करने का प्रयास किया गया जिनका दिनांक 07.06.2023 को निधन होना पाया गया व शिकायतकर्ता सतपाल अग्रवाल के परिवार से रिकार्ड पुनः प्राप्त करने बारे सम्पर्क किया गया। जो परिजनों से कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त करने हेतू महानिदेशक, बागवानी विभाग हरियाणा पंचकूला से पत्राचार किया गया जिस बारे उक्त कार्यालय से पत्र मीमो न0 4647/स्था-।। दिनांक 20.02.2024, पत्र Memo No /MIDH/53/1/2023-24/1378 DATED 06.03-2024, यादि कमांक 8947/स्था-।। दिनांक 09.04.2024 व पत्र मीमो न0 17012/स्था-।। दिनांक 18.07.2024 अनुसार जवाब प्राप्त हुए जिनमें अधिकतर बिंदुओ बारे पहले ही जवाब दिया होने का उल्लेख किया गया जो यह सभी, पत्र, प्रलेख फाईल न0 3 में पेज न0 01 से 77 तक लगे देखे जा सकते है। शिकायतकर्ता सतपाल अग्रवाल का अलग से कथन अंकित किया गया है।

राय आरोपः- जांच के दौरान प्राप्त किए गए रिकार्ड व कथनों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों बारे

निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं। जिनका विवरण शिकायत के बिन्दुवार आरोप, इस बारे शिकायतकर्ता के कथन तथा रिकार्ड व ब्यानों के आधार पर सामने आए तथ्यों के रूप में दिया गया है:-

आरोप नं0 1:-Expenditure incurred on the set of establishment of new garden in the state:-From the year 2007-08 onwards more than 2000 hectares had been brought under the fruit plantation. For this purpose more than five lacs of fruit plants had been purchased from the private nurseries in the state as well as of the other state Dept. In spite of these the other material like Fertilizer, Pesticides had been purchased in the same manner. Package and practices of the state university has been ignored. Only 5-10% plants are surviving in the field of the farmers in the state. Heavy amount has also been spent on their maintenance for the next three years. Huge embezzlement of fund has been made in the implementation of the scheme.

बिन्दु न0 1 इस विषय में मैं ब्यान करता हूं कि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 तक विभाग ने 2000 हैक्टर से ज्यादा फलदार पौधे लगाए है ये पौधे ज्यादातर उत्तर प्रदेश की नर्सिरियों से खरीदे गए तथा कृषकों को मुफत में सप्लाई किए गए जो 95 प्रतिशत मर गए। ये पौधे विभागीय नर्सिरियों से तथा उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यो की सरकारी नर्सिरियों से खरीदे जाने चाहिए थे। मगर ऐसा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त खाद एवं दवाईयां भी सरकारी स्त्रोंतो से न खरीदकर प्राइवेट स्त्रोतों से खरीदे गए। मनमर्जी अनुसार कृषको को मुफत दी गई कितना खाद और दवाई किस कृषक को किस फलदार पौधे के लिए पैकेज व प्रैक्टिस के अनुसार देनी थी। इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। उपरोक्त खरीद पर करोडो रूप्ये का गोलमाल किया गया जिसकी गहराई से जांच की आवश्यकता है। इस कार्य को कृषकों के खेतों में देखने से पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत पौधे जीवित्त है व कितने मर गए। सरकार को ऐरिया वृद्धि का जो डाटा भेजा गया वह सब झूठा है। सरकार को एरिया एवं प्रौडक्शन की झूठी रिपोर्ट देकर गुमराह किया गया। विभागीय जांच कमेटी द्वारा जांच से उपरोक्त पौधों की स्थिति एंव भ्रष्टाचार सामने आया मगर मिलीभगत होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। उधारण के तौर पर मैं नीचे लिखे दस्तावेज सलंग्न कर रही हूं। मैं यह भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन पौधों की रखरखाव पर अगले तीन साल के लिए खर्चा दिखाया गया जो कि सब झूठा है। जैसे जो पौधे वर्ष 2007-08 में लगे उनका रख रखाव 2008-09, 2009-10, 2010-11 बनता है। इसी प्रकार 2008-09 में लगे पौधे का रखरखाव 2009-2010, 2010-11, 2011-12 बनता है। इस स्कीम के अंतर्गत 90 प्रतिशत राशि का दुरूप्योग किया गया है। तथा संलग्न जिला अम्बाला, यमुनानगर (पी-10), पानीपत (पी-3), मेवात (पी-7,8,9), पलवल (पी-2) आदि की जांच रिपोर्ट इनका प्रमाण है।

राय बिन्दु न0 1 जिला पानीपतः- के सम्बन्ध में रिपोर्ट पी-3 उपरोक्त के अनुसार पाया गया है कि इन्द्र पुत्र श्री ज्ञानी गांव बिजाया को वर्ष 2007-08 में अमरूद के नए बाग लगाने के लिए अनुदान दिया गया व इसके इलावा उसे अन्य फसलों के लिए व एस.सी.पी. स्कीम का भी अनुदान दिया गया जबकि इस व्यक्ति के पास कोई कृषि जमीन नही थी। इसी तरह इसके पुत्रों सुभाष व शमशेर को भी 12 एकड का अनुदान दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में एन.एच.एम. के तहत बागों के रखरखाव के लिए जारी की गई सहायता राशि बिना तस्दीक व बिना सक्षम अधिकारी (अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत) के अनुमोदन के 7 लाभार्थियों को जारी की गई व सहायता राशि के चैकों के उपर डी.एच.ओ. पानीपत के साथ अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत की जगह उनके स्टैनों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसके इलावा रमेश पुत्र गोपाल वासी गांव फरीदपुर को वर्ष 2007-08 में अमरूद के बाग, गुलाब, गैंदा आदि फसलों के लिए लगभग 14 एकड का अनुदान दिया गया जबकि इस व्यकित के पास कोई जमीन नहीं है। इसी प्रकार टीम द्वारा किए गए Random निरीक्षण से सामने आया कि श्री संजय भाटिया वासी कचरौली, नरेश पुत्र लक्ष्मी चंद वासी कचरौली, राजकुमार पुत्र श्री भीम सिंह वासी सिवाह व मनीष कुमार पुत्र रामनारायण वासी भोडवाल माजरी को बाग लगाने के लिए वर्ष 2006-07, 2007-08 व 2008-09 में सहायता राशि जारी की गई। परन्तु मौका पर कोई पौधा नहीं मिला। टीम द्वारा पाया गया कि डी.एच.ओ. पानीपत व उनके कार्यालय के अन्य अधिकारी नकली सूचियां तैयार करके सरकारी अनुदान का अपने फायदे के लिये दुरूप्योग करते है व व्यकित विशेष को फायदा पहूंचाते है।

आरोप न0 2 From the year 2007-08 onwards an area of more than one thousand hectares has been brought under rejuvenation of old and senile orchards. Several crores have been spent for this purpose. Package and practices of the state university has been ignored. Huge embezzlement of fund has been made in the implementation of the scheme as there is no workein the farmer's field.

बिन्दु न0 2 इस विषय मे मैं ब्यान करता हूं कि वर्ष 2007-08 से आगे तक पुराने बागो का नवीकरण किया हुआ दिखाया है। जितना ऐरिया क्लेम किया हुआ है, उतना ऐरिया है ही नहीं। यह स्कीम उन बागों पर लागू होती है जिनकी आयु 40 से 50 साल या इससे उपर हो तथा फल देने के योग्य हो। इस स्कीम को चढ़ाने में लाखो रू. का गोलमाल किया गया। जो कि जांच का विषय है। विभागीय जांच कमेटी से भी इस बात की पुष्टी कर दी है। कृप्या साथ संलग्न

जांच रिपोर्टों का अध्ययन करने का कष्ट करें। जिनका जिक बिन्दु न0 1 में किया गया है। जांच के दौरान लिए गए रिकार्ड से इस बारे निम्नलिखित तथ्य सामने आये है :-

राय बिन्दु न0 2 जिला पानीपतः- के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्ट पी-3 उपरोक्त के अनुसार पाया गया है कि डी.एच.ओ. पानीपत द्वारा वर्ष 2007-08 में रमेश पुत्र गोपाल वासी गांव फरीदपुर को अलग अलग मदो में लगभग 14 एकड का अनुदान दिया गया व एस.सी.पी. स्कीम के तहत विभिन्न फसलों के लिए लगभग साढे 10 एकड का अनुदान दिया गया जिसमें से अमरूद के 1.5 एकड के पुराने बाग के रेजुवेनशन के लिए भी अनुदान दिया गया जबकि इस व्यकित के पास कोई जमीन नहीं है। जांच टीम द्वारा पाया गया कि वर्ष 2006-07, 2007-08 व 2008-09 के दौरान अमरूद के बागों के रिजुनिवेशन के तहत डी.एच.ओ. पानीपत ने रिकार्ड के अनुसार अलग अलग गांव के 22 किसानों को अनुदान दिया गया जबकि जांच टीम द्वारा श्री राजकुमार पुत्र हुकम सिंह वासी कचरौली, राजेश शर्मा पुत्र घसीटा राम व रिषि पाल पुत्र श्री किशनदास वासी पट्टी कल्याणा के खेतों में की गई रैंडम चैकिंग के दौरान रेजुवेनशन का काम सही नहीं पाया गया। इसके इलावा यह सामने आया कि डी.एच.ओ. पानीपत द्वारा शाहबाद मारकंडा स्थित एक सब्जी बीज विक्रेता के माध्यम से भुगतान किया गया है जो कि नियमविरूध है। इसी प्रकार श्री संजय भाटिया वासी कचरौली के खेत के निरीक्षण से पाया गया कि रिकार्ड में दिखाए गए दो एकड की जगह एक एकड में बेर के बाग का रिजुनिवेशन किया गया है। इस प्रकार टीम द्वारा पाया गया कि बोगस व फर्जी रिकार्ड तैयार करके अनुदान का गबन करने के इलावा एरिया को बढाचढाकर दिखाया गया है। जिसे जांच टीम ने अवैध, वितीय अनियमितता व गबन माना है।

आरोप न0 5- From the year 2007-08 onwards a big amount of subsidy has been given to private and public sector for the production of mushroom integrated mushroom unit/spawn making units compost making units, but no production has been made during the period. Huge embezzlement of fund has been made in the implementation of the scheme. No mushroom unit has been established in the farmers' fields. On the basis of duplicate Ration cards subsidy benefit has been given to the farmers. This duplicacy has been brought to the notice of inquiry officer.

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल • करनाल •

बिन्दु न0 5 इस विषय में मैं ब्यान करता हूं कि मशरूम उतपादन स्कीम के तहत कृषकोंको मशरूम यूनिट लगाने के लिये करोडो रू. को अनुदान दिया गया। मगर अधिक्तर ना तो यूनिट लगी ना ही प्रोडैक्शन हुई। अनुदान का गलत इस्तेमाल किया गया। जिससे सरकार को लाखों रू. का नुकसान हुआ। विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत करके राशि का गबन किया यहां तक कि पलवल(पी-2) की जांच रिपोर्ट में डुप्लीकेट राशन कार्ड पर अनुदान दिया गया। स्कीम के अनुसार केवल कृषकों को ही अनुदान दिया जा सकता है। मगर यहां पर तो SGH, NGO तथा सरपंचो को भी अनुदान दिया गया। जिसकी उदाहरण रिपोर्ट जिसके अनुसार 40,55,000/-(16,20,00015,15,00092,0000 40,55,000) का गबन केवल 2009-10 के दौरान ही पलवल की जाच है किया हुआ पाया गया रिपोर्ट के पेज 13 से 16 पेज देखने का कष्ट करे। इसी प्रकार अन्य जिलो में भी गबन का पूरा अन्देशा है। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 तक इस मद के अन्तर्गत किए गए कार्य पर अनुदान राशि को खुर्द बुर्द किया गया। जांच रिपोर्ट की प्रति पलवल (पी-2) एवं पानीपत (पी-3) पर दर्ज है। शेष अनुदान के बारे में लाभांवित कृषको की वर्ष वाईज सूची से पता चल जाएगा कि किसको किस सैक्टर में क्या दिया गया। जांच के दौरान लिए गए रिकार्ड से इस बारे निम्नलिखित तथ्य सामने आये है ।

राय बिन्दु न0 5 जिला पानीपतः- के सम्बन्ध में रिपोर्ट पी-3 उपरोक्त के अनुसार पाया गया है कि वर्ष 2007-08 में खुम्बी के पक्के शैड के लिए जिले के कुल 14 किसानों को 25,250/- रू. प्रत्येक को अनुदान दिया गया। जिसमें से 6 लाभार्थी जयनारायण पुत्र श्री फकीर चंद वासी बोडवाल माजरी के एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसके इलावा इन सभी को खुम्बी के लिए 15 हजार रू. प्रत्येक को अनुदान दिया गया दिखाया गया है। इसके इलावा इस परिवार के सदस्यों को अन्य स्कीमों में भी लाभ दिया गया दिखाया गया है व इन्हें कुल लाभ 2,97,250/-रू0 का नगद अनुदान व लगभग 11 एकड का अन्य फसलों के लिए अनुदान एक वर्ष के अंदर दिया गया है जबकि इनके पास कोई जमीन नहीं है व ना ही मौका पर कोई खुंबी का पक्का शैड बना है। इसी तरह अन्य लाभार्थी भी पिता पुत्र हैं व एक ही परिवार के सदस्य है। इसके इलावा Existing trays of mushroom units के लिए वर्ष 2007-08 में कुल 163 लाभांवित किसानों को 15000/-रू0 प्रत्येक के हिसाब से कुल 24,45,000/-रू. खर्च दिखाया गया। जबकि इस मद में असल खर्च 26,40,000/-रू. किया गया बकाया 1,95,000/-रू. के बारे में डी.एच.ओ. पानीपत ने बतलाया कि यह राशि हरियाणा एग्रो इंडस्टीज मुरथल को जमा करवाई गई है जोकि इनके अनुसार एन एच एम के नियमों के विरूद्ध था। इसके इलावा वर्ष 2007-08 में सुरेश पुत्र प्रीत सिह वासी गांव महावटी को एन एच एम स्कीम के तहत खुंबी के पक्के शैड के लिए 25,250/-रू0 का अनुदान व इसी काम के लिए एस सी पी स्कीम के तहत 37,875/-रू0 का नगद अनुदान एक ही वर्ष में दिया गया। जबकि मौका पर नियमानुसार कोई खुंबी का पक्का शैड ना था। इसके इलावा जांच टीम द्वारा वर्ष 2006-

07, 2007-08 व 2008-09 से सम्बन्धित बगैर किसी कारण के ही हस्ताक्षर किए गए अनेक चैक डी एच ओ पानीपत के कार्यालय में पाए गए व कुछ मामले ऐसे पाये गए जिनमें DHMIU की तस्दीक/ निरीक्षण के बिना सहायता राशि जारी की हुई थी जबकि अनेक अन्य मामलों में यह तस्दीक/निरीक्षण हो जाने के बाद भी सहायता राशि जारी नहीं की गई थी। जबकि एन एच एम के खाता में यह सारी राशि खर्च हो चुकी होनी दिखाई गई थी व राज्य मुख्यालय को भी यह रिपोर्ट भेजी गई थी। इसे टीम ने वितीय नियमो का घोर उल्लंघन माना है।

आरोप न0 10 Huge amount of subsidy has been spent (given to farmers/pvt. Agencies) in the implementation of ORGANIC FARMING scheme in the state from 2006-07 onwards. There is no working unit in the field of farmers in the state. 90% of the amount of subsidy has been embezzled. Only 5-10 percent of the farmers have been brought under the scheme. There is no certification of any Horticultural crop in the field of farmer who has been shown under subsidy in the state.

बिन्दु न0 10 इस आरोप के विषय में ब्यान किया जाता है कि वर्ष 2006-07 से लगातार कृषकों को 500 वर्ग फुट की नई यूनिट (वर्ग कम्पोस्ट) लगाने के लिए 30,000/- रुपये का अनुदान दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2012-13 तक करोडो रू0 का अनुदान दिया हुआ दिखाया गया। अधिकतर यूनिटें मौके से गायब है। इस विषय में जब जांच की गई तो घोटाला सामने आया। जिसकी उदाहरण जिला पलवल, मेवात, यमुनानगर एंव अम्बाला है। यमुनानगर एवं अम्बाला की जांच रिपोर्ट पी-10 शिकायत पत्र के साथ पहले की संलग्न की हुई है। जिसमें जांच कमेटी ने विजिलेंस की जांच की मांग की हुई है। मगर निदेशक महोदय ने मिली भगत करके एंव आरोपयों को बचाने की नीयत से जांच रिपोर्ट को फाईल कर दिया। इसके अतिरिक्त विभाग ने इस स्कीम के कुछ हिस्से को वर्ष 2008-09 से 7 प्राईवेट कंपनियों को दे दिया जिसने नाम 1 Dhamani Surphan, ITS Gulab Fruit and veg co. society, ICCOA Bangalore, KN Bio Science India Pvt. Ltd, International Panneccea Ltd and Kisan welfare club है। इन कम्पनियों को वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक 15,15,01,800/- की धन राशि दी गई इन कंपनियों ने विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर कुल राशि का अधिकतम भाग का गबन किया एवं समय समय पर कार्य को मिली भगत करके संतोषजनक बताया वर्ष अनुसार लाभवंतित कृषकों से पूछताछ की जा सकती है कि उनको ओरगैनिक फार्मिंग के तहत कितना लाभहुआ और क्या मिला यह एक जांच का विषय है।जांच के दौरान लिए गए रिकार्ड से इस बारे निम्नलिखित तथ्य सामने आये है :-

राय बिन्दु न0 10 जिला पानीपतः- के सम्बन्ध में रिपोर्ट पी-3 अनुसार पाया गया है कि डी.एच.ओ .पानीपत द्वारा वर्ष 2007-08 के सम्बन्ध में 15 लाभार्थियों को 30,000/-रू0 प्रति यूनिट के हिसाब से 15 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाने बारे कुल 4,50,000/-रू. खर्च किए हुए दिखाए है जबकि वास्तव में इनमें से केवल 3 लाभार्थियों को 30-30 हजार रू0 के चैक बिना किसी मौका निरीक्षण के दिनांक 24.04.2008 को दिए गए। जबकि टीम द्वारा दिनांक 25.6.2009 को की गई जांच के समय पाया गया कि बाकी बचे 12 किसानों के सब्सिडी के कुल 3,60,000/-रू0 के चैक डी.एच.ओ. पानीपत के पास ही पडे हुए है। इसके आधार पर टीम ने डी.एच.ओ. पानीपत श्री सुरेन्द्र सिंह दहिया की इमानदारी संदेहजनक पाई। इसके इलावा वर्ष 2006-07 के सम्बन्ध में वर्मी कम्पोस्ट की 18 यूनिट लगाने बारे 10,000 /-रू0 प्रति यूनिट के हिसाब से कुल 1,80,000/-रू0 के 18 चैक बगैर किसी वाजिब कारण के लम्बित रखे पाए गए। जिनमें से ज्यादातर एन.जी.ओ., स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत के सरपंच व किसान क्लब आदि को जारी किए हुए थे। जो कि एन.एच.एम. के दिशानिर्देशों अनुसार नहीं किए जा सकते थे व स्कीम का लाभ लेने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रोजैक्ट के प्रस्ताव ही स्वीकृत किए जा सकते थे। इस प्रकार जांच टीम ने इसे गंभीर त्रुटि, अनियमित्ता व वित्तीय गबन माना है। इसके इलावा सरला देवी पत्नी हरि दत्त वासी गांव भोडवाल माजरी को वर्ष 2008 में 30000/-रू0 का अनुदान वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाने के लिए दिया गया जबकि इसके पास कोई जमीन नहीं थी व ना ही ऐसी कोई यूनिट इस लाभार्थी द्वारा लगाई गई थी। इस प्रकार टीम द्वारा पाया गया कि डी एच ओ पानीपत श्री सुरेन्द्र सिंह दहिया द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत लाभार्थियों की फर्जी सूचियां तैयार करके सहायता राशि / सब्सिडी का गबन किया गया है।

आरोप नं0 12 Amount of subsidy paid to the farmers under INTEGRATED POST HARVEST MANAGEMENT (construction of pack houses etc.) is a matter of investigation in the Dept. since 2006-07 onwards.

बिन्दु नं0 12 इस आरोप के विषय में ब्यान किया जाता है कि पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमैंट स्कीम के तहत वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 तक जो भी कार्य करवाए गए है वो नियमों के अनुसार नहीं है इस स्कीम के अंतर्गत कुल चैम्बर/पैक हाउस इत्यादि बनाए गएजिन पर लाखो रू. का अनुदान दिया गया जांच करने पर पता चल जाएगा कि कितनी धनराशि का दुरुपयोग किया गया मौके पर बनाए गए चैम्बर/पैक हाउस की स्थिति बारे जांच से पता चल जायेगा । जांच के दौरान लिए गए रिकार्ड से इस बारे निम्नलिखित तथ्य सामने आये है -

राय बिन्दु न0 12 जिला पानीपतः- के सम्बन्ध में रिपोर्ट पी-3 अनुसार पाया गया है कि डी.एच.ओ. श्री दहिया द्वारा जयनारायण पुत्र श्री फकीर चंद वासी बोडवाल माजरी को लो कोस्ट चैम्बर के लिए 26,250/-रू0 की सब्सिडी दी गई। जबकि यह भूमिहीन व्यक्ति है। जिला पानीपत बारे विभाग के अधिकारियों की जांच कमेटी/निरीक्षण टीम द्वारा उजागर किए गए उपरोक्त तथ्यों को नकारने बारे भ्र.नि.ब्यूरो के जिला के जांच अधिकारियों की रिपोर्टो, ब्यानों/ दस्तावेजों के आधार पर कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। अतः जिला पानीपत के सम्बन्ध में यह आरोप सिद्ध रहा।

आरोप न0 18 VIOLATION of Seed Act 1966/seed control order in the. Dept. is a matter of investigation since 2007-08 onwards. Corruption is being promoted in implementation of the Act. No legal action under section 19 of the Act is being taken against supplier of seed in case the seed is declared substandard by the state seed testing lab. All the cases have been filed due to the reason not known.

बिन्दु न0 18 इस बिन्दु के अंतर्गत लिखा जाता है कि विभाग में सीड एक्ट 1966 लागू है। इसके अंतर्गत उद्यान सम्बधि फसलों के सैम्पल लिए जाते है। जिनकी गुणवता को जांचने के लिये कृषि विभाग या अन्य सरकारी विभाग की सीड टैसटिंग लैबोरेटरी में सैंपल भेजा जाता है। टैस्ट रिपोर्ट के आधार पर बीज की गुणवता का पता चलता है। लैबोरेटरी द्वारा अगर बीज सब स्टैण्डर्ड पाया जाता है तो इसके विषय में पूर्ण केस बनाकर कोर्ट आफ ला में दिया जाता है। जिसकी सजा 500 रू. जुर्माना या 6 माह की कैद है। यह फैसला माननीय अदालत द्वारा किया जाता है। विभाग के किसी भी अधिकारी को केस के निपटान की किसी प्रकार की शक्तियां नही है। यह सब जानते हुए भी विभाग ने यह 2007-08 से 2012-13 तक जितने भी बीजों के सैम्पल सबसटैण्डर्ड पाए उन सभी को कोर्ट आफ ला में देने की बजाए स्वंय रफा दफा कर दिया। जो कि एक औफैंस है। सरकार को इससे वित्तीय नुकसान हुआ है। तथा पद का दुरुपयोग किया गया। सीड एकट की प्रति (पी-6) पर पहले की दर्ज है देखी जा सकती है। यह सारा मामला मिलीभगत के कारण हुआ जो कि एक जांच का विषय है।

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल • करनाल •

राय बिन्दु न0 18 जिला पानीपतः- इस सम्बन्ध में कार्यालय महानिदेशक बागवानी हरियाणा से पत्राचार करके प्राप्त की गई जो पत्र न0 Memo no. Hort/MIDH/53/1/2023-24/1378 dated 6-3-2024 अनुसार प्राप्त हुई जो जिला पंचकूला की प्रलेख फाईल न0 3 के पेज नं0 31-59 तक लगी देखी जा सकती है। रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक हरियाणा में रोहतक, सिरसा, यमुनानगर, पानीपत, कुरूक्षेत्र, फतेहाबाद, रेवाडी व नारनौल जिलों में घटिया बीज के कुल 82 मामले सामने आए परन्तु किसी जिला उद्यान अधिकारी कम सीड इंसपैक्टर द्वारा भी न्यायलय में केस दायर नहीं किया गया। जो कि Seed Act 1966 के अनुसार किया जाना था। अतः यह आरोप सिद्ध रहा।

आरोप न0 19 Purchase of seed pesticides for Horticulture crops are being purchased from 2007-08 onwards without the recommendation of the state Agriculture University Hisar also without considering the climate of the state. Rates of the seeds are too high and increased per year. Purchases are being done from pvt. Sources and not that of govt. sources causing a loss of crore of Rs. in the state exchequer.

बिन्दु नं0 19 इस विषय के अंतर्गत ब्यान किया जाता है कि निदेशालय स्तर पर वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान जो भी सब्जियों इत्यादि के बीज खरीदे गए वह ना तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मान्य है व ना ही जलवायु को मध्य नजर रखकर खरीदे गए बीजो को खरीदने के लिये निदेशालय ने एक परचेज कमेटी का गठन किया था। जिसके एक सदस्य वेद प्रकाश गोयल थे। जब यह बीज उच्च स्तरों पर खरीदे जाने लगे तो इस अधिकारी ने विरोध किया जिस पर इस अधिकारी की कमेटी से बाहर निकालकर श्री पी सी शर्मा (On contract) को लगा दिया गया। इस विषय में यह भी लिखा जाता है कि इन बीजों का रेट प्रति वर्ष 20 से 25 प्रतिशत बढाया जाता रहा। पहले यह बीज एन एच एम स्कीम के तहत एरिया इंसपैक्शन के लिए खरीदे गए तथा बाद में RKVY Scheme आई इस स्कीम के पैसे को खुर्द पुर्द करने के लिए इन ही बीजों को डैमोनस्टेशन के लिए खरीदा गया। यहा यह भी लिखा जाता है कि बीज की खरीद पहले डेमोनस्टेशन के लिए की जाती है तथा बाद में एरिया इंसपैक्शन के लिए मगर यहां पर इसके उल्ट किया गया केवल RKVY Scheme के पैसे को खुर्द बुर्द करने के लिए बीज की खरीद की गई बीज का रेट बाजार भाव से 30 प्रतिशत अधिक था जिसको प्राईवेट एजेन्सी से खरीदा गया जिससे सरकार को करोडो रू० का नुकसान हुआ इस गपले के विषय में श्री वेद प्रकाश गोयल से पूछताछ की जा सकती है। जो आपको सही मार्गदर्शन देगा। यह अधिकारी साफ छवि वाला अधिकारी है इन बीजो में मिर्च, लहसुन, अदरक, एवं हल्दी प्रमुख है फूलो के बीजो में गलैड का बीज प्रमुख है। जांच के दौरान लिए गए रिकार्ड से निम्नलिखित तथ्य सामने आये है-

राय बिन्दु न. 19 जिला पानीपतः- इस जिला बारे रिपोर्ट पी-3 अनुसार पाया गया है कि वर्ष 2009 में Haryana Fruit and Nursery Act 2005 के तहत पंजीकृत 24-25 प्राईवेट नर्सिरियों को छोडकर मै. वालिया ब्रा. कम्पनी के मालिक श्री संजीव वालिया को 1,99,200 देसी गुलाब के पौधों की सप्लाई का ठेका अवैध व अनुचित रूप से दिया गया जिसके लिए

पहले खरीद प्रक्रिया में श्री संजीव वालिया ने मै. खादीग्राम उद्योग एवं समिति गांव मिल्क थाना नारायणगढ, जिला अम्बाला के नाम से हिस्सा लिया। जिसमें आमंत्रित बोलियों बारे कुल 12 पार्टियों ने हिस्सा लिया था परन्तु डी.एच.ओ. पानीपत द्वारा बिना किसी कारण के इस प्रक्रिया को बंद करके दौबारा बोलियों बारे विज्ञापन दिया गया। टैंडर प्रक्रिया के दौरान अलग-अलग पार्टियों द्वारा लगाई गई बोलियों के रूपयों में भी कटिंग करके, खादी ग्राम उद्योग समिति द्वारा दी गई बोली को 7 रू प्रति पौधा की दर को 2 रू0 20 पैसे कर दिया गया। इसके इलावा क्रम संख्या 4 व 5 पर भी कटिंग की गई। इस प्रकार डी.एच.ओ. पानीपत व उनके कार्यालय के लेखाकार आदि द्वारा श्री संजीव वालिया के साथ मिलीभगत करके निविदाकारों द्वारा दिए गए कागजात में लिखे गए दरों में अवैध रूप से कटिंग व हेराफेरी करके श्री संजीव वालिया को रू0 8,88,972 में 1,99,200 देशी गुलाब के पौधे 50 हैक्टेयर क्षेत्र में उगाने बारे सप्लाई करने का ठेका दिया गया। इसमें भी पत्राचार में पिछली तारीखें लिखी गई व मौसम जाने के बाद अप्रैल महीने मे पौधे किसानों का दिए गए जो इस खेती के लिए उपयुक्त समय नहीं था जिस कारण दिनांक 25.6.2009 को टीम द्वारा किए गए निरीक्षण द्वारा पाया गया कि लगभग सारा Planting Material घटिया स्तर का था व किसानों के खेतों में कोई पौधा नहीं उगा पाया गया। जिस बारे टीम ने श्री सुरेन्द्र सिंह दहिया डी.एच.ओ. पानीपत व सप्लायर श्री संजीव वालिया के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने की सिफारिश की थी। इसके इलावा वर्ष 2009 में RKVY स्कीम के तहत डी.एच.ओ. ने 15 किसानों को टमाटर के बीज बारे 50 प्रतिशत सब्सिडी देना दिखाया है। जबकि इन 15 में से श्री रतनवीर सिंह पुत्र श्री राम सिंह, प्रमोद पुत्र श्री दलबीर सिंह, मंदीप पुत्र धर्मपाल, धर्मपाल पुत्र श्री हिसाब सिंह, सतपाल पुत्र श्री हिसाब सिंह वासीयान गांव पुठठर ने अपने अपने ब्यान दिए हैं कि उनके द्वारा जिला उद्यान अधिकारी पानीपत के कार्यालय से टमाटर का बीज नहीं लिया गया व ना ही टमाटर की खेती की गई। इन व्यक्तियों ने स्टाक रजिस्टर में भी अपने हस्ताक्षर होने से मना किया। जो यह सभी ब्यान जिला पंचकूला की प्रलेख फाईल के पेज नं0 121 से 208 तक लगे जांच कमेटी को रिपोर्ट के साथ पेज नंट 173 से 177 तक लगे हैं। इस प्रकार जांच टीम द्वारा पाया गया कि डी.एच.ओ. पानीपत व उनके कार्यालय के कर्मचारी लाभार्थियों की नकली सूचियां तैयार करके सरकारी अनुदान का गबन करते है व व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ टीम द्वारा पाया गया कि वर्ष 2007-08 व 2008-09 में मिर्च, लहसुन, गैंदा, गलेड व हल्दी की फसल लगाने वाले किसानों की सूचियां ब्लाक स्तर पर बनाई गई है जिसमें बहुत सारे किसानों के नाम हर ब्लाक में लिखें हुए है या दो दो ब्लाक में लिखे गये है या ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखे गये है जो गांव में रहते ही नही है या जिनके पास जमीन ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर कैसर व कृष्ण पुत्रान श्री दीप चंद वासी गांव निम्बरी के नाम गेंदा की अनुदान सूचि में मडलौडा ब्लाक व इसराना ब्लाक दोनों में लिखा हुआ है व राकेश पुत्र श्री विरेन्द्र वासी गांव निम्बरी व मनु पुत्र श्री खजान वासी गावं मतरौली को एन.एच.एम. स्कीम के तहत विभिन्न फसलों के लिए अनुदान दिया गया है। परन्तु इनके पास कोई जमीन नहीं है। इसी प्रकार शीशपाल पुत्र श्री श्याम निवासी गांव पुठठर को गेदें की सूची में लाभ दिया हुआ दिखाया गया है। जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि डी.एच.ओ. पानीपत व उनके कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा जाली रिकार्ड तैयार करके टमाटर के बीज बारे सब्सिडी देने में 25 लाख रू0 के गबन के साथ साथ अन्य सरकारी धन का भी गबन किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि जिला पानीपत में सब्जियों/मसालों/फूलों से सम्बन्धित इन्पुटस की खरीद व वितरण बारे जाली रिकार्ड तैयार करके गबन किया गया है व जिला गुडगांव में तत्कालीन जिला उधान अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सांगवान द्वारा गैरजरूरी व नियमविरूद्ध रूप से खरीद करके विभाग को आर्थिक हानि पहुंचाई गई। जिला पानीपत आरे विभाग के मुख्यालय की टीम द्वारा जिला उधान अधिकारी व सप्लायर श्री संजीव वालिया के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने के सिफारिश की गई। परन्तु इस पर कोई कार्यवाही न करके एस.एस. दहिया के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के नाम पर लीपा पोती की गई जिससे मुख्यालय की मिलीभगत सामने आती है। इसके इलावा इस बिन्दु में लगाए गए अन्य आरोपों बारे विभाग द्वारा स्पष्ट जवाब न देने व तथ्य न बतलाकर जांच में सहयोग ना करने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है जिसके लिए आपराधिक अभियोग दर्ज करके अनुसंधान की आवश्यकता है।

जिला पानीपत बारे विभाग के अधिकारीयो की जांच कमेटी निरीक्षण टीम द्वारा उजागर किये गए उपरोक्त तथ्यो को नकारने बारे भ्र.नि.ब्यूरो के सम्बंधित जिला के जांच अधिकारियो की रिपोर्ट, ब्यानो, दस्तावेजो के आधार पर कोई तथ्य सामने नहीं आए है। अत यह आरोप जिला पानीपत के सम्बंध मे सिद्ध रहा व बागवानी विभाग मुख्यालय पर लगे आरोपो बारे अनुसंधान की आवश्यकता है। जिला पानीपत के सम्बम्ध में शिकायत के आरोप न0 1. 2, 5, 10, 12, 18 व 19 सिद्ध होने सामने आए है जो कि पूर्व पृष्ठो में वर्णित किये गए है। जिसके सम्बन्ध में बागवानी विभाग जिला

पानीपत के श्री सुरेन्द्र सिंह दहिया, तत्कालीन डी.एच.ओ., श्री जयपाल सिंह तोमर, ए.पी.ओ. व अन्य तत्कालीन कर्मचारियों के खिलाफ थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, करनाल मण्डल करनाल में धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी. भा.द.सं. 1960 के तहत अभियोग दर्ज किए जाने व अनुसंधान के दौरान Department of Horticulture Haryana मुख्यालय के अधिकारियों व अन्य प्राईवेट लोगो की संलिप्तता देख लिए जाने की सिफारिश की गई थी।

कार्यालय पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक 13715-19/1-1/SVACB (H) date Panchkula the 14.07.2026 व पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल के डायरी क्रमांक 1633 दिनांक 17.07.2026, कार्यालय पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक 15198/1-5/SVACB (H) date Panchkula the 03.08.2026 व पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल करनाल के डायरी क्रमांक 1765 दिनांक 04.08.2026 के सम्बंध में प्रस्तुत है कि जांच क्रमांक 05 दिनांक 28.03.2013 पंचकूला,अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 14191/आई-1/रा.चौ.एवं भ.नि.ब्यूरो(ह.) दिनांक 18.07.2025 व मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 66/22/2013-6 चौकसी (11) दिनांक 26.06.2026 अनुसार जांच रिपोर्ट में आरोपो को पुर्णतया स्वीकार करते हुए बागवानी विभाग जिला पानीपत के श्री सुरेन्द्र सिंह दहिया, तत्कालीन डी.एच.ओ., श्री जयपाल सिंह तोमर, ए.पी.ओ., अन्य तत्कालीन कर्मचारियों व प्राईवेट व्यकितयो के खिलाफ धारा 17 ए पी.सी. एक्ट 1988 की अनुमति मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति प्रदान की गई है जिसके सम्बंध में तहरीर अंकित की जाकर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। दर्ज अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारीगण को भिजवाई जा रही है। अभियोग में आगामी अनुसंधान हेतु अन्य अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने बारे निवेदन है। अज- थाना रा.स.एवं भ.नि.ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल।-SD- Satpal (नि. सतपाल सिहं) रा.स.एवं भ.नि.ब्यूरो उपकेन्द्र पानीपत। दिनांक- 04.08.2026

अज थानाः- उपरोक्त तहरीर पर कायमी अभियोग सख्या 19 दिनांक 04-08-2026 धारा 409, 420,467, 468,471,120-बी भा.द.स. थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा डियुटी मैजिस्ट्रेट साहब पानीपत को बजरिया E-Mail सूचना दी गई । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार आगामी अनुसन्धान हेतू निरीक्षक रिषीपाल न0 231/KR, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र पानीपत को जा रही है। उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक सतपाल, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल करनाल

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** RISHI PAL **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 231KNL **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल करनाल

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Satpal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 288RR

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				Is pox pitted: Yes
2	Male	1976				Is pox pitted: Yes
3	Male	1976				Is pox pitted: Yes

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो • करनाल • करनाल मण्डल

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)